III/निगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/1858

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–अशोकनगर

1– पवन कुमार पुत्र श्री भोला धोबी,
2– श्याम लाल पुत्र श्री भोला धोबी,
3– गेंदालाल पुत्र श्री भोला धोबी,
4– करण सिंह पुत्र श्री भोला धोबी,
निवासीगण– ग्राम कूडई, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1. सगुनबाई पत्नी श्री मोहर सिंह हरिजन,
2. मोहर सिंह पुत्र श्री धीरा हरिजन,
3. विवेक पुत्र श्री मोहरसिंह हरिजन,
4. विपिन पुत्र श्री मोहरसिंह हरिजन,
निवासीगण– ग्राम कूडई, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त–3, राजपुर, तहसील अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 सगुनबाई द्वारा तहसील अशोकनगर के समक्ष ग्राम कूडई में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 61 रकवा 0.261 है0 भूमि का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जो प्रकरण क्रमांक 15/अ–12/2016–17 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2, 3 द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशोकनगर/भू0रा0/17/1858

पवन कुमार विरूद्ध सगुनाबाई

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
23-03-18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अधिवक्ता उपस्थित । 2- यह निगरानी नायब तहसीलदार बृत्त 3 राजपुर तहसील अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 10/अ-70/16-17 में पारित आदेश दिनांक 06.06.17 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 2- प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वहीं तथ्य प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें पुनरांकित कर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं हैं किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश विधि अनुसार जारी किया गया है जिसे स्थिर रखा जाकर निगरानी अग्राहय करने का अनुरोध किया गया। 3- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के	

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशोकनगर/भू0रा0/17/1858

पवन कुमार विरूद्ध सगुनाबाई

तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर भी विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 06-06-17 की प्रमाणित प्रति का भी अवलोकन कर शूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। प्रथमत: तो आवेदक अधिवक्ता द्वारा जिस प्रश्नाधीन आदेश को आक्षेपित किया गया है वह दिनांक 06-06-17 का न होकर दिनांक 05-06-17 का है न्याहित में इसी को आक्षेपित आदेश मान्य किया जाता है। प्रकरण में आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है जिससे किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रकरण को प्रचालन योग्य मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्रमांक 5 को सूचना पत्र जारी करने के आदेश के साथ ही पटवारी रिपोर्ट एवं साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में समस्त हितवद्ध पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त एवं समुचित अवसर उपलब्ध है जहां पर सभी पक्षकार अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश में इस स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 05.06.17 स्थिर रखा जाता है। निगरानी

अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई एवं पक्षसमर्थन का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नीतिगत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य